सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी–बाड़मेर
(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2024/388 दर्ज तिथिः–30.08.2024

1. पदमाराम पुत्र वालाराम
2. अचलाराम पुत्र वालाराम
3. गेनाराम पुत्र वालाराम
4. चेतनराम पुत्र वालाराम
5. ठाकरराम पुत्र वालाराम
6. नथाराम पुत्र वालाराम
7. नवलाराम पुत्र वालाराम
   जाति जाट निवासी हुडों का तला तहसील नोखड़ा –बाड़मेर
8. तहसीलदार नोखड़ा

.......................प्रार्थीगण

बनाम

1. पेमाराम पुत्र हिमताराम
2. देदाराम पुत्र हिमताराम
3. गोमीदेवी पत्नी हिमताराम
4. अणसीदेवी पत्नी चेतनराम
5. खींयाराम पुत्र चेतनराम
6. तगाराम पुत्र चेतनराम
7. धर्माराम पुत्र चेतनराम
   कौम जाट, निवासी हुडो का तला, पटवार मण्डल नोखडा,
   तहसील नोखड़ा, जिला– बाड़मेर
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नोखड़ा

................असल विप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः– श्री चिमनसिंह चौधरी
अप्रार्थीगणः– एकतरफा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–251ए
राजस्थान काश्तकारी अधि.–1955

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.24 13:42:48 IST
Reason: SelfAttested

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—18.11.2024

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251—'क' के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी 193 / 32.3991 है., वाके ग्राम हुडों का तला तहसील नोखड़ा में अवस्थित है। प्रार्थी की आराजी तक पहुँच के प्रयोजन के लिए अप्रार्थीगण की आराजी हाल खसरा संख्या 189 वाके ग्राम हुडों का तला तहसील नोखड़ा से होते हुए आवागमन करते आए हैं। परंतु अप्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी आराजी में फसल करने से प्रार्थी का रास्ता अवरूद्ध हो जाता है। इससे रास्ते को लेकर भारी विरोध रहता है एवं झगड़े की संभावना बनी रहती है। उक्त रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थी की आराजी तक वर्तमान में कोई रिकॉर्डेड रास्ता चालू नहीं है। अतः खसरा संख्या 189 वाके ग्राम हुडों का तला तहसील नोखड़ा के सेढे से होकर प्रार्थी की आराजी तक नवीन रिकॉर्डेड रास्ता हेतु अनुतोष चाहा गया है। अंत में प्रार्थी की आराजीयात तक कोई रिकॉर्डेड रास्ता दर्ज रिकॉर्ड नहीं है तथा उक्त आवेदित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई लघुत्तम मार्ग का विकल्प नहीं होने के कारण उक्त परिशिष्ठ—अ में अंकित मार्ग के आवेदित रास्ते को रिकॉर्ड में दर्ज कर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

जवाब / रिपोर्ट

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण हाजिर न्यायालय हुए। अप्रार्थीगण द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया जाकर अप्रार्थीगण के प्रार्थना—पत्र संख्या 2022 / 276 को स्वीकार किये जाने तथा प्रार्थी के उक्त प्रार्थना—पत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। उक्त राजीनामे पर प्रार्थीगण द्वारा सहमति व्यक्त की गई। अतः उक्त प्रकरण में मुताबिक राजीनामा प्रार्थना—पत्र नियमानुसार स्वीकार किया जाता है। परिशिष्ठ—अ का विवरण इस प्रकार हैः—

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.24 13:42:48 IST
Reason: SelfAttested

(परिशिष्ट - अ)

राजस्थान सरकार | **NIC-BHUNAKSHA**

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि) | दिनांक : 23/08/2024 04:35:45 PM

जिला : बाड़मेर | तहसील : नौखड़ा | भू. अ. नि. क्षेत्र : नौखड़ा

पटवारी हल्का : नौखड़ा | ग्राम : हुडो का तला

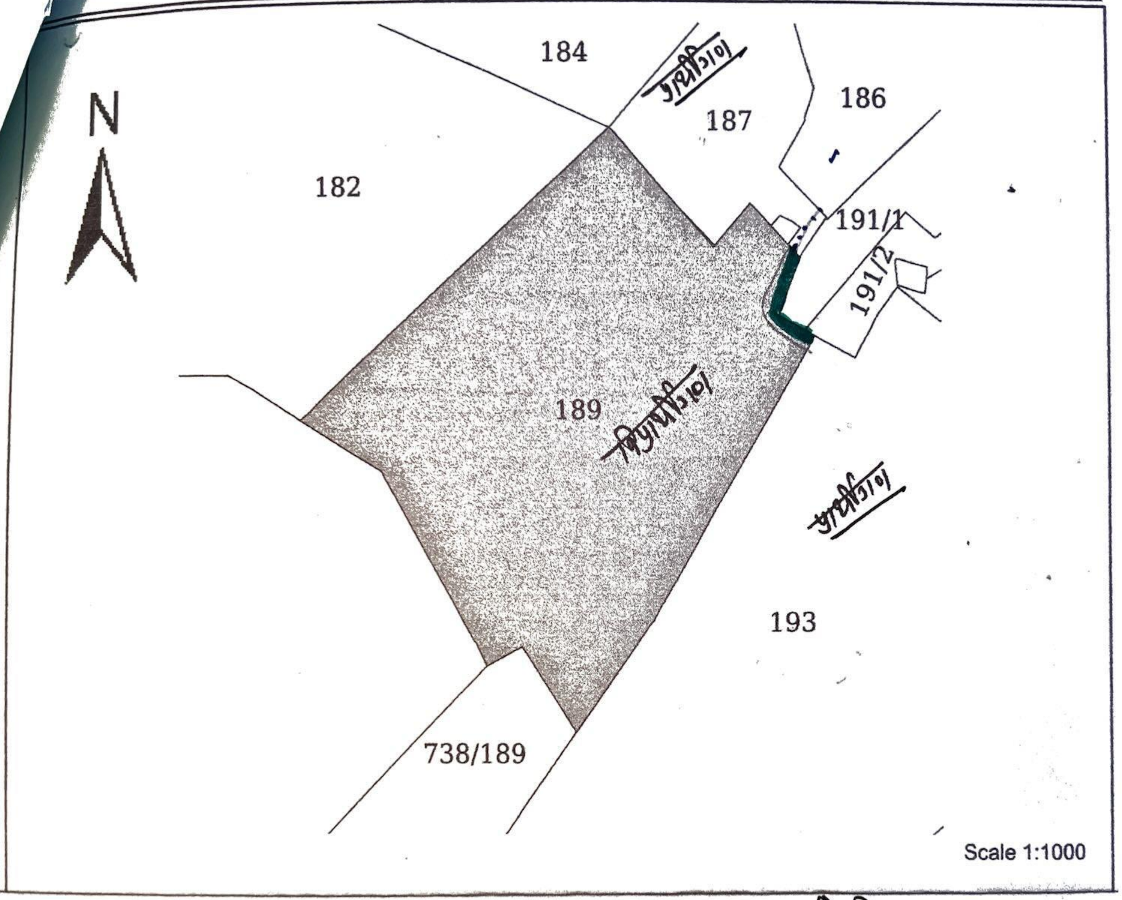

संकेत :– (1) प्रार्थीगण ख.नं. 187 में जाने हेतु रास्ता चाहा गया।

(2) प्रार्थीगण ख.नं. 193 जो सड़क पर है अर्थात् 187 व 193 को आपस में जोड़ने हेतु।

(3) विप्रार्थीगण ख.नं. 189 में से नवीन रास्ता प्रस्तावित है, जो दोनों खसरों को आपस में जोड़ते है।

(4) बरंग हरा विप्रार्थीगण का खसरा 189 संकेत (—)

चिमनसिंह चौधरी
एडवोकेट
M.A., LL.B, LL.M
R/358/18
Mob.9928070780

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.24 13:42:48 IST
Reason: SelfAttested

3. अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251—क के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र उभयपक्षकारों की सहमति के आधार पर स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार नोखड़ा को आदेश दिये जाते है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिशिष्ठ—अ में हरा रंग से अंकित प्रस्तावित मार्ग से रास्ता प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी आराजी खसरा संख्या 193 तक पहुंच हेतु खसरा संख्या 189 में से होकर प्रार्थी द्वारा वांछित चौडाई, जो कि 30 फिट से अधिक नहीं हो, के रास्ते में आयी भूमि एवं निर्माण के एवज में राजस्थान सरकार राजस्व विभाग की अधिसूचना दिनांक 05.09.2023 के अनुसार प्रार्थी द्वारा उक्त नवीन रास्ते में आयी भूमि के एवज में समान अवस्थिति पर समान रकबे की भूमि का विकल्प के आधार पर अथवा क्षतिपूर्ति राशि के आधार पर उभयपक्षकारों की सहमति के आधार पर नियमानुसार उक्त नवीन रास्ते को खाता संख्या—1 सिवायचक में सार्वजनिक उपयोग हेतु किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर अंकन किया जावें। भूमि के बदले भूमि की परिस्थिति में प्रार्थी उक्त नवीन रास्ते में समाहित हुई अप्रार्थीगणों की खातेदारी आराजी के बदले समान अवस्थिति पर समान रकबे व गुणवत्ता की भूमि का विकल्प उपलब्ध करवाएं तथा अप्रार्थीगण अगर उस विकल्प पर सहमत हो तो उक्त प्रस्तावित भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में से कलमजन की जाकर अप्रार्थीगणों की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड की जावे। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिशिष्ठ—अ निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। परिशिष्ठ—अ का विवरण इस प्रकार हैः—

निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार गुड़ामालानी को भिजवायी जावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.24 13:42:48 IST
Reason: SelfAttested

यह आदेश आज दिनांक 18.11.2024 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

न्यायालय सहायक कलक्टर/उपखंड अधिकारी
सत्यमेव जयते
गुढ़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.24 13:42:48 IST
Reason: SelfAttested